

वित्तीय दिशा निर्देशन

कार्यक्रम का नाम – नियमित टीकाकरण

बजट / एफ०एम०आर० शीर्ष(अनुलग्नक 1 के आधार पर)

AEFI की रिपोर्टिंग एवं जाँच हेतु राशि की उपलब्धता (AEFI investigation of district AEFI committee)।

एफ०एम०आर० कोड संख्या – C-16

बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० कोड संख्या (अनुलग्नक 1 के आधार पर)

पार्ट – सी.

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण (5 –10 वाक्य अधिकतम)

नियमित टीकाकरण सत्र के दौरान दिये गये टीका के विपरीत प्रभाव (Major AEFI) की रिपोर्टिंग एवं इसकी जाँच जिला स्तरीय AEFI कमिटि द्वारा किया जायेगा एवं आवश्यकतानुसार वैकिसन की जाँच हेतु सम्बन्धित प्रयोगशाला में भेजेने का प्रावधान।

इकाई राशि (रु० लाख में)

रु० 1000/- प्रतिवर्ष ऐसे बड़े AEFI मामले (Major AEFI) की तुरंत जाँच हेतु वाहन एवं इंधन आदि के व्यय के लिये जिला AEFI कमिटि को वर्ष में औसतन 5 मामले की जाँच हेतु दिया जा रहा है।

रु० 5000/- औसतन साल में दो बड़े AEFI मामले (Major AEFI) की जाँच के पश्चात आवश्यक होने पर राज्य के बाहर निर्धारित वैकिसन सैम्प्ल प्रयोगशाला में जाँच हेतु भेजे जाने के लिए व्यवस्था की गई है। जिसमें परिवहन के साथ – साथ रहने एवं खाने की व्यवस्था सम्मिलित है।

वित्तीय दिशा निर्देशन

इस राशि का उपयोग आवश्यकतासनुसार करें एवं इसकी सही प्रकार से फॉर्मेट को भरकर (FIR, PIR, DIR & LRF etc.) राज्य, जिला एवं राष्ट्रीय स्तर पर दिशा – निर्देश के अनुसार भेजना सुनिश्चित करें।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं. तिथि के साथ उल्लेखित करें)

(क) पत्र सं. SHSB/RI/185/07/R.I.Cell-1656 दिनांक 30.04.08

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी / सलाहकार का नाम

डा. गोपाल कृष्ण, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी प्रतिरक्षण

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी / सलाहकार का फोन नंबर

9470003014 / 0612-229035